

D-43

जप्ती पत्रक

थाना- ईओडब्ल्यू. का अप.कं. - 09/2015

दिनांक व समय जप्ती	- 17.02.2015 के 14.20 बजे
जप्ती स्थान	- सी.डब्ल्यू.सी. देवरीखुर्द का गोदाम कं0-सी/1 देवरीखुर्द, जिला बिलासपुर छ.ग.
किसके द्वारा पेश किया गया	- श्री के.आर. राज पिता स्व. श्री लालसाय राज उम्र 50 वर्ष, अधीक्षक CWC. देवरीखुर्द जिला बिलासपुर (छ.ग.)
उपस्थित नॉन के अधिकारी का नाम	- श्री व्ही.के. सेठ पिता श्री एच.एल. सेठ उम्र 55 वर्ष, सहायक प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम बिलासपुर छ.ग.।
जप्तकर्ता अधिकारी	- निरीक्षक अजितेश सिंह एन्टी करप्शन ब्यूरो कार्यालय बिलासपुर छ.ग.
जप्ती साक्षी	- (1) श्री विनय कुमार दीक्षित पिता स्व. श्री ठाकुर प्रसाद दीक्षित उम्र 58 वर्ष, प्रबंधक क्वालिटी कंट्रोल एफ.सी.आई. बिलासपुर (छ.ग.) (2) श्री इस्तियाक अहमद पिता श्री मुस्ताक अहमद उम्र 28 वर्ष, तकनीकी सहायक क्वालिटी कंट्रोल बिलासपुर (छ.ग.)

विवरण

आज दिनांक 17.02.2015 उक्त समय सदर पर सी.डब्ल्यू.सी. देवरीखुर्द के गोदाम कंमांक-सी/1, में नॉन द्वारा संग्रहित अमृत नमक के पैकेट जो कि उक्त गोदाम के स्टैक में रखा हुआ है में से चारों कोनों से एक-एक पैकेट अमृत नमक बतौर सेम्पल निकाला गया। जिसमें छत्तीसगढ़ अमृत नमक, पैकिंग माह 1/2015, बैच नंबर-01, नेट वेट 1 कि.ग्रा. लेख है। उक्त निकाले गये सेम्पल पैकेटों में से दो-दो पैकेट कपड़े के दो अलग-अलग थैलों में डालकर साक्षियों के एवं स्वयं के हस्ताक्षर वाले पर्ची को थैले में डालकर उक्त साक्षियों के समक्ष उक्त दोनों थैलों को सी.डब्ल्यू.सी. देवरीखुर्द के अधीक्षक श्री के.आर. राज के पेश करने पर जप्त कर सीलबंद किया गया।

हस्ताक्षर साक्षी

(1)

जिसके द्वारा पेश किया गया

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नॉन के अधिकारी

हस्ताक्षर

जप्तकर्ता

(2)

सत्यापित प्रति

(ए.सी. देवरीखुर्द)
निरीक्षक ई.ओ.डब्ल्यू. रायपुर (छ.ग.) ए.सी.